आयोजनागत

संख्या-19/2016/742/18-4-2016-2(बजट)/14-टी0सी0-।।

प्रेषक,

आर0ए0 सिंह,
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

आयुक्त एवं निदेशक,
उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय उ0प्र0,
कानपुर।

सूक्ष्म,लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग-4 लखनऊः दिनांकः 25 अप्रैल,2016

विषयः भदोही में कारपेट बाजार की स्थापना हेतु वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि की स्वीकृति ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-528/13-हस्त0/बजट/2015-16, दिनांक 23-06-2014 के संदर्भ में शासनादेश संख्या-409/18-4-2015-2(बजट)/14-टी0सी0, दिनांक 25-03-2015 तथा शासनादेश संख्या-928/18-4-2015-2(बजट)/14-टी0सी0, दिनांक 06-07-2015 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि भदोही में कारपेट बाजार की स्थापना हेतु वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक में प्राविधानित रू0 500000 हजार (रूपये पचास करोड़) के सापेक्ष 40 प्रतिशत धनराशि रू0 200000 हजार (रूपये बीस करोड़ मात्र) की धनराशि निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन आपके निर्वतन पर रखते हुए व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है :-

(1)- उक्त स्वीकृत धनराशि को आहरित कर कार्यदायी संस्था उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0 के प्रबंध निदेशक के माध्यम से परियोजना प्रबंधक निर्माण ईकाई वाराणसी (पूर्व मिर्जापुर) को उपलब्ध करायी जायेगी।

(2)- प्रश्नगत परियोजना का कार्य माह अक्टूबर,2016 में पूर्ण होना है, जिसके दृष्टिगत निर्माण कार्य कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(3)- उपरोक्त स्वीकृति धनराशि का उपभोग पूर्व निधारित नियमों/शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन किया जायेगा तथा उपर्युक्त संदर्भित शासनादेश दिनांक 25-3-2015 में योजनान्तर्गत दिये गये मार्ग-दर्शक सिन्द्धातो का अनुपालन कड़ाई से सुनिश्चित किया जायेगा। जहॉ पर आवश्यक हो वहॉ पर सक्षम अधिकारी की पूर्व अनुमति प्राप्त की जायेगी। स्वीकृति धनराशि का अन्य मद में व्यावर्तन किसी भी दशा में अनुमन्य न होगा।

(4)- उपर्युक्त स्वीकृत धनराशि का आहरण एक मुश्त न कर वास्तविक आवश्यकता के आधार पर किया जायेगा तथा उक्त धनराशि केवल उपर्युक्त स्वीकृत योजना पर ही व्यय की

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

जायेगी। किसी भी दशा में स्वीकृत धनराशि अथवा उसके किसी अंश का उपयोग अन्य मदों/अन्य कार्यो के क्रियान्वयन हेतु नही किया जायेगा ।

(5)- उपरोक्त स्वीकृत धनराशि का आहरण करने के पूर्व यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रश्नगत योजना/कार्य किसी अन्य योजना से स्वीकृत नहीं हुआ/हो रहा है।

(6)- योजनान्तर्गत स्वीकृत धनराशि को पी0एल0ए0/डिपाजिट खाता में जमा नहीं किया जायेगा।

(7)- उपरोक्त स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष होने वाले व्यय का नियंत्रण, वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-बी-1-1195/दस-16/94, दिनांक 6 जून,1994 द्वारा निर्गत निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(8)- व्यय प्रबंधन एवं शासकीय व्यय में मितव्यतिता के सम्बंध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के साथ-साथ उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गयी शर्तो की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य मानको (स्टेण्डर्डस ऑफ फाईनेन्शियल प्रोप्राइटी) का अनुपालन भी सुनिश्चत किया जायेगा।

(9)- स्वीकृत धनराशि के व्यय के सम्बंध में वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2016-बी-1-746/दस-2016-231/2016, दिनांक 22-03-2016 एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता सम्बंधी वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी किये गये शासनादेशों में उल्लिखित निर्देशों का अनुपालन कड़ाई से सुनिश्चित किया जायेगा।

(10)- निर्माण कार्य की अवशेष धनराशि तभी उपलब्ध करायी जायेगी जबकि पूर्व में तथा वर्तमान में स्वीकृत की जा रही धनराशि का पूर्ण उपयोगिता प्रमाण-पत्र, परियोजना की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति तथा अपेक्षित गुणवत्ता का प्रमाण-पत्र शासन को प्राप्त हो जायेगा।

(11)- स्वीकृत धनराशि का मदवार मासिक व्यय विवरण शासन के विशेष सचिव वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-6 एवं सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग उ0प्र0 शासन को प्रपत्र बी-एम-13 में पूर्णतया भरकर उपलब्ध कराया जायेगा ।

(12)-स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र महालेखाकार (लेखा परीक्षा)-1 एवं 2 उ0प्र0 इलाहाबाद तथा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग उ0प्र0 शासन को धनराशि व्यय किये जाने के एक माह के भीतर उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा ।

2- उक्त कार्य पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक की अनुदान संख्या-3 के अंतर्गत लेखा शीर्षक-4851-ग्राम एवं लघु उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

आयोजनागत-104-हस्तशिल्प उद्योग-03 संतरविदास नगर (भदोही) में कारपेट बाजार-24-वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2016-बी-1-746/दस-2016-231/2016, दिनांक 22-03-2016 द्वारा प्रतिनिधानित अधिकारों के अंतर्गत जारी किये जा रहे है।

भवदीय

(आर0ए0 सिंह)
अनु सचिव ।

संख्या-19/2016/742(1)/18-4-2016, तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-:

1- महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- महालेखाकार (लेखा-परीक्षा-1) सी0ए0एस0एस0-3/टी0डी0ए0 कोआर्डिनेशन, उ0प्र0 इलाहाबाद।
3- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0 इलाहाबाद।
4- मण्डलायुक्त, वाराणसी/विन्ध्यांचल मण्डल मिर्जापुर।
5- प्रबंध निदेशक, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0, लखनऊ ।
6-महाप्रबंधक/परियोजना प्रबंधक, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0, जिला अस्पताल परिसर, मिर्जापुर, इकाई प्रथम मिर्जापुर ।
7-जिलाधिकारी, संतरविदास नगर-भदोही।
8-संयुक्त आयुक्त उद्योग, विन्ध्यांचल मण्डल मिर्जापुर।
9- मुख्य कार्यपालक अधिकारी, भदोही औद्योगिक विकास प्राधिकरण-भदोही।
10-कोषाधिकारी, संतरविदास नगर-भदोही/कानपुर
11- वित्त नियंत्रक, उ0प्र0 उद्योग निदेशालय, कानपुर।
12- निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यकीय निदेशालय, 125 जवाहर भवन, लखनऊ ।
13-वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-6
14-नियोजन अनुभाग-4
15- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(आर0ए0 सिंह)
अनु सचिव ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।